राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **21/2016**

1. धर्मपाल उम्र 61 वर्ष
2. भोतराम
   पुत्रान् अमीचन्द जाति अहीर निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नं. 9462092384, 9772787212

...........वादीगण

बनाम

1. दीनाराम पुत्र मंगलाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी **(मृतक)**

1/1. धर्मपाल पुत्र दीनाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी।

1/2. यादराम पुत्र दीनाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी।

2. फूलाराम पुत्र मंगलाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी।
3. हरिराम पुत्र अमीचन्द जाति अहीर निवासी रवां तहसील खेतड़ी।
4. रामचन्द्र पुत्र अमीचन्द जाति अहीर निवासी रवां तहसील खेतड़ी।
5. रघूवीर पुत्र अमीचन्द जाति अहीर निवासी रवां तहसील खेतड़ी।
6. कमला पुत्री अमीचन्द पत्नी सरजीत कुमार जाति अहीर निवासी नंगली गोदा तहसील रिवाडी (हरियाणा)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।
8. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शिमला जरिये शाखा प्रबन्धक।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राधेश्याम भारद्वाज	अभिभाषक	वादीगण की ओर से
2. श्री अमरसिंह गूर्जर	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 3 ल. 6 की ओर से
3. श्री मुकेश कुमार शर्मा	अभिभाषक	प्रति.संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से
4. श्री अजीत सिंह तंवर	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

दावा – घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

–: **निर्णय** :– **दिनांक :–09–05–2022**

वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि ग्राम शिमला स्थित भूमि खाता नम्बर 290 संवत 2052 से 2053 के खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 1858 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1859 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 2002 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 2023 रकबा 1.06 हैक्टर खसरा नम्बर 2040 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 2279/2050 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 5.97 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 दीना का 1/4 हिस्सा था। प्रतिवादी दीना ने खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.18 हैक्टर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर में अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 26.11.1997 को वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 के पिता अमीचन्द को बिल एवज रूपये 30000/– में बेचान कर भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हैक्टर पर कब्जा कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरों में 1/4 हिस्से का खातेदार अमीचन्द दिनांक 26.11.1997 को ही बन गया एवं उसे खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हैक्टर पर कब्जा भी दे दिया गया। अमीचन्द का दिनांक 20.09.2008 को स्वर्गवास हो गया एवं वादीगण की माता का भी 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त भूमि के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 3 से 6 हो गये। प्रतिवादीगण 3 से 6 ने अपनी ग्राम शिमला स्थित समस्त पैतृक भूमि का हक समर्पण भी वादीगण के पक्ष में दिनांक 13.06.2014 को कर दिया परन्तु वाद वर्णित भूमि का इन्तकाल सहवन से वादीगण के पिता के नाम नहीं चढ़ा इसलिए उक्त भूमि का समर्पण वादीगण के पक्ष में होते हुए यह भूमि उनके नाम नहीं चढ़ी। दावा के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 दीना एवं उसके भाईयों ने विभाजन कर लिया व वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में भूमि खसरा नम्बर 952, 974 प्रतिवादी 1 के खाते में व भूमि खसरा नम्बर 1829 प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से में आ गई। इसलिए प्रतिवादी 2 को भी पक्षकार बनाया हैं। भूमि खसरा नम्बर 952 पर जरिये क्रय पत्र दिनांक 26.11.97 वादीगण के पिता का कब्जा था व अब वादीगण का कब्जा हैं। इसलिए वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कास्तकार हैं। परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम रहने से प्रतिवादी ने उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 8 ग्रामीण बैंक के रहन रख दी जिससे उक्त भूमि का इन्तकाल नम्बर 1106 बतौर रहन दिनांक 31.12.2015 को प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम हो गया इसलिए वादीगण के लिए यह जरूरी हो गया कि वे उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करावे, उक्त भूमि के वादीगण 26.11.1997 से खातेदार है अतः बैंक के नाम रहन से भी वादीगण पाबन्द नहीं है एवं उनके खातेदारी अधिकारों के खिलाफ रहनामा भी अदितशून्य हैं। दावा घोषणा के लिए कोई मियाद नहीं है। अतः दावा अन्दरमियाद पेश हैं। वादग्रस्त भूमि श्रीमान्जी के सीमाक्षेत्राधिकार ग्राम शिमला में स्थित है अतः न्यायालय को दावा सुनने का सीमाक्षेत्राधिकार है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की अनुसूची 3 के क्रमांक 5 के अनुसार श्रीमान्जी को 1 रूपये कोर्टफीस पर यह दावा सुनने का अधिकार हैं। दावे के साथ जमाबन्दी की नवीनतम नकल पेश की हैं। शपथपत्र भी पेश हैं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

(1) वादीगण को एंकाकी रूप से अथवा प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 के साथ भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हैक्टर का अथवा विकल्प में भूमि खसरा नम्बर 952 , 974, 1829 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें।

(2) अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से दिनांक 14.09.2016 को इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब दावा पेश किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से दिनांक 31.01.2017 को वाद वादीगण खण्डन स्वरूप जवाब दावा पेश होने पर दिनांक 17.02.2021 को तनकीयात् कायम कर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.04.2022 को वादीगण धर्मपाल, भोतराम व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का वादी पक्ष की ओर से तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से इस आशय का राजीनामा पेश हुआ कि प्रतिवादीगण के पिता ने वादीगण के पिता अमीचन्द को भूमि खसरा नं. 952 रकबा 0.10 [illegible] 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता 3 कुल रक[illegible]0.50 [illegible]टर में से 1/4 भूमि यानि 12/1/2 बिस्वा का बेचान कि[illegible] के पिता को भूमि खसरा नं. 952 रकबा 0.10 हैक्टर [illegible] यही खेत बेचना तय किया था। इसलिए दोनो [illegible] सहमत हैं कि वादीगण को भमि खसरा नं. 952 रकबा 0.10 हैक्टर का खातेदार घोषि[illegible] कर खाता विभाजन किया जाये केवल खसरा नं. 952 रकबा 0.10 हैक्टर दिया जावे, शेष भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के खाते में रहे। प्रतिवादीगण का भूमि खसरा नं. 952, 974 व 1829 का बंटवारा हो चुका है व भूमि खसरा नं. 1829 फुला के हिस्से में व भूमि खसरा नं. 974 व 952 प्रतिवादी धर्मपाल व यादराम के हिस्से में आये है, नकल जमाबन्दी पेश हैं। प्रतिवादीगण धर्मपाल व यादराम ने भूमि खसरा नं. 952 पर शेखावाटी ग्रामीण बैंक से ऋण ले रखा है उसको वे चुकती प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र न्यायालय में पेश करेंगे तभी खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावे अथवा खसरा नं. 952 का ऋण भी खसरा नं. 1829 पर ही शिफ्ट किया जावे क्योंकि ऋण बैंक ने कब्जा देखे बिना गलत रूप से मंजुर किया हैं अतः उपरोक्तानुसार राजीनामा तस्दीक कर दावा वादीगण का डिक्री किया जावें। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की पहचान श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट ने की व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की पहचान श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.04.2022 को बाद स्वीकार व तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में विक्रय पत्र दिनांक 26.11.97 (प्रदर्श–1ए), नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या नया 116 (प्रदर्श–2), खाता संख्या नया 177 (प्रदर्श–3), नकल जमाबन्दी संवत 2052–55 खाता संख्या नया 290 (प्रदर्श–4) नकल जमाबन्दी संवत 2060–2063 खाता संख्या नया 324 (प्रदर्श–5) नकल जमाबन्दी संवत 2056–59 खाता संख्या नया 290 (प्रदर्श–6) नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता संख्या नया 142 (प्रदर्श–7) ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी व दीनाराम पुत्र मंगलाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2016 की चित्रित प्रति पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा दिनांक 06.04.2022 के अनुसार मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 26.11.97 (प्रदर्श–1ए) के वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र के अभिवचनों, राजीनामा दिनांक 06.04.2022 में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1997 (प्रदर्श–1ए) के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के पिता दीना पुत्र श्री मंगला जाति अहीर आयु 50 साल पेशा काश्त निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान ने ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत 2052–2055 के खाता संख्या नया 290 (प्रदर्श–4) में दर्ज खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.18 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.22 हेक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.50 हेक्टेयर में दर्ज अपने 1/4 हिस्से की भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता अमीचन्द पुत्र श्री काशीराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को बेचान किया है। मुताबिक रिकार्ड के उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। वादीगण अपने पिता द्वारा क्रय की गई उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। राजीनामा दिनांक 06.04.2022 के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुये है कि भूमि खसरा नम्बर 952, 974 व 1829 का बंटवारा हो चुका है। भूमि खसरा नम्बर 1829 प्रतिवादी संख्या 2 फूलाराम के हिस्से में व भूमि खसरा नम्बर 974 व 952 प्रतिवादी संख्या 1/2 व 1/2 के हिस्से में आई है। इसलिये वादीगण को केवल खसरा नम्बर 952 रकबा 0.10 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। चूंकि वादीगण इसी नम्बर पर कब्जा काश्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा होकर भूमि [illegible] 974 व 952 खाता संख्या नया 142 में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के [illegible] व [illegible] खसरा नम्बर 1829 खाता संख्या नया 177 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व [illegible] शिमला की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1997 (प्रदर्श–1ए) व राजीनामा दिनांक 06.04.2022 के अनुसार वादीगण का वाद पत्र संदेह से परे साबित होता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि क्रेता के विधिक वारिसान होने के नाते सभी वारिसान को उनके पिता द्वारा क्रय की भूमि में बराबर–बराबर हिस्सा दिया

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जाना न्यायोचित पाया जाता है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः ग्राम शिमला की जमाबन्दी संवत 2076–2079 (प्रदर्श–7) के खाता संख्या नया 142 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 974 रकबा 0.10 हेक्टेयर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को बराबर–बराबर हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। खसरा नम्बर 974 पर वर्तमान में बैंक का रहन है। इसलिए उक्त खसरा रहन मुक्त होने पर आदेश का अमल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner